



हमारा प्रयास
सबको आवास

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के

लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सुल्तानपुर में सामान्य पंजीकरण 2020
के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के आवासीय भूखंडों एवं स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत
मध्यम आय वर्ग भवनों को प्राप्त करने की

पंजीकरण अवधि अब 23 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गयी है



भूखण्डों का विवरण

UPRERAPRJ220230

योजना का नाम	ग्रुप सं.	मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मी. में	भूखण्डों की संख्या	मूल्य भूमिदर (प्रति वर्ग मी.)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	ग्रुप अ				
	1. आवासीय	162.00	47	17,500	1,45,000.00
	ग्रुप ब	75.00	31	17,500	70,000.00
	1. आवासीय	162.00	23	17,500	1,45,000.00

स्ववित्त पोषित भवन का विवरण

UPRERAPRJ963567

योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की संख्या	प्लिंथ एरिया (वर्ग मी.)	कार्पेट एरिया (वर्ग मी. में)	मानक भूखण्ड एरिया क्षे. (वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष धनराशि. समान मासिक तिमाही किरतों में
लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	(80/122) मध्यम आय वर्ग प्रकार के सेमीफिनिश भवन	28	80	59.80	121.89	32.00	1,60,000.00	2 वर्षों में त्रैमासिक किरत

ऑफलाइन/ऑनलाइन सुविधा प्रदाता बैंक : एच.डी.एफ.सी. बैंक, 1170, खैराबाद, इलाहाबाद रोड, सुल्तानपुर।

सम्पर्क करें:- ऑफलाइन आवेदन हेतु श्री ब्रजेन्द्र सिंह, (मो. नं. 8545845983, 7007479873) तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु श्री विकास कुमार (मो. नं.- 8545845983)

ऑफलाइन के आवेदन हेतु पंजीकरण पुस्तिका रु. 1000/- (जीएसटी सहित) भुगतान कर एच.डी.एफ.सी. बैंक, खैराबाद, सुल्तानपुर से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) सम्बन्धित बैंक में जमा की जा सकती है।

नियम व शर्तें

- एक मुरत भुगतान विकल्प देने पर आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन/भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमत्य होगी।
- ग्रुप-अ के भूखण्ड केवल एक मुरत भुगतान के आवेदकों के मध्य आवंटन/चयनित किये जायेगे।
- ग्रुप-ब के भूखण्ड एवं भवनों में प्रथम चरण में एक मुरत भुगतान पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी द्वारा से एवं उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किरतों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी द्वारा से कार्यवाही की जायेगी।
- प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- रेरा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.up.rera.in पर देखें।
- पंजीकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए ए.डी.एफ.सी. बैंक की विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

सम्पर्क सूत्र-

1- श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता,
नि.ख. अयोध्या-2, मोबाईल नं. 8795810700

2- श्री सुभाष चन्द्र मौर्या, सम्पत्ति प्रबन्धक,
सुल्तानपुर, मोबाईल नं. 8795811050

3- श्री लक्ष्मण प्रसाद, उप आवास आयुक्त,
वाराणसी जोन, मोबाईल नं. 8795810015

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
1800-180-5333 दूरभाष **0522-2236803**
या परिषद की वेबसाइट पर लॉगइन करें।